(8)

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वीनरेश आर.ए.एस

अपील संख्या :– 5/2023

रामचन्द्र पिता नंदा जाति धाकड निवासी नाल तहसील बेगूँ
अपीलार्थी

बनाम

1– रोशनी पत्नी गोपाललाल जी धाकड निवासी पालछा ग्राम पंचायत अमरपुरा तहसील बस्सी जिला चितौडगढ़

2– कौशल्याबाई पत्नी नन्दलाल जाति धाकड निवासी मेघपुरा हाल गटियावली (गिलुण्ड) तहसील एवं जिला चितौडगढ़

रेस्पोडन्ट्स

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री अनिल शर्मा
अधिवक्ता रेस्पो0

आदेश अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 1190 निर्णय ग्राम पंचायत खेडी निर्णय दिनांक 23.5.2023

अपील इस प्रकार है कि ग्राम नाल पटवार हल्का खेडी तहसील बेगूँ के नामान्तरण संख्या 1190 मृतक लादूलाल पिता नंदा धाकड निवासी नाल की विरासत पर खोले गये पर दिये निर्णय के विरूद्ध यह अपील निम्न आधार बिन्दुओं पर प्रस्तुत है :–

1– यह कि मृतक लादूलाल पिता नंदा धाकड निवासी नाल के लाऔलाद फोत हो जाने बावजूद ग्राम पंचायत खेडी ने रेस्पोडेन्ट्स को मृतक लादूलाल का विधिक उत्तराधिकारी मान नामान्तरण निर्णय करने में भूल की है जो निरस्त योग्य है।

2– यह कि मृतक लादूलाल के नामान्तरण बाबत अपीलार्थी ने तहसीलदार साहब बेगूँ के यहाँ कई बार आवेदन प्रस्तुत किये, जिन पर तहसीलदार साहब बेगूँ ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की एवं धारा 135(2) मे प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने का आदेश भी पारित किया इतना सब होते हुए हल्का पटवारी ने सभी तथ्यों को छुपाते हुए बिना किसी आदेश के मात्र शपथ पत्र एवं पर्चा मौका के आधार पर बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये नामान्तरण भर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत ने भी बिना किसी वैद्य एवं विधिक प्रकिया अपनाए निर्णय करने मे भूल की है जिससे नामान्तरण निर्णय निरस्त योग्य है।

3– यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का मृतक लादूलाल से कोई सम्बन्ध नहीं होते हुए भी एवं मृतक लादूलाल की विरासत विवादित हो जाने बावजूद हल्का पटवारी ने नामान्तरण किसी प्रलोभनवश रेस्पोडेन्टस से मिल कर षडयंत्र रचते हुए प्रस्तावित किया जिसे ग्राम पंचायत ने बिना जॉच ही अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर निर्णय करने में कानूनी भूल की है जिससे नामान्तरण निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

4– यह कि रेस्पोडेन्ट के सभी सरकारी दस्तावेजो में पिता एवं पति का नाम लादूलाल अंकित नहीं है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्वयं के जनआधार में पिता का नाम नंदलाल अंकित है एचवं यह दस्तावेज अपीलार्थी द्वारा हल्का पटवारी को दिया हुआ था फिर भी हल्का पटवारी ने बिना वैद्य प्रकिया अपनपाए बिना किसी सक्षम आदेश के नामान्तरण प्रस्तावित किया एवं ग्राम पंचायत ने बिना जॉच के बिना कौरम में निर्णय कराये निर्णित कर दिया जिससे नामान्तरण निर्णय निरस्त योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि मृतक लादूलाल अपीलार्थी का सगा भाई था एवं उसके प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी नहीं होने पर द्वितीय वर्ग में अपीलार्थी ही हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी बनता है साथ ही लादूलाल व अपीलार्थी के पिता ने अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत भी कर रखी है जिससे भी अपीलार्थी ही उक्त भूमियों को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है जिससे अपीलार्थी को उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होने से यह अपील न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

6- यह कि उक्त नामान्तरण निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को 26.6.2023 को राजस्व रेकार्ड की नकल निकलाने पर प्राप्त हुई जिससे अपील नामान्तरण नियमानुसार अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमा मृतक लादूलाल पिता नंदा की विरासत पर दिये गये निर्णय को निरस्त फरमा उसके प्रथमवर्ग का उत्तराधिकारी नहीं होने से नियमानुसार द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरण किये जाने का आदेश प्रदान करावें। साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अपील पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा ने अपना अधिकार पत्र पत्रावली में प्रस्तु किया। अपील पत्र पर बहस हेतु अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने निवेदन किया। अपील पत्र पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया ।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस को अपील पत्र के अनुसार निवेदन करते हुए कहा कि लादूलाल पुत्र नंदा लाऔलाद फोत हुआ, जिसके विरासत से नामानतरण खोलने हेतु तहसीलदार के यहाँ आवेदन दिनांक 21.6.2022 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136(2) में दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु दिनांक 16.2.2023 को लिखा गया, हल्का पटवारी ने अपने स्तर पर ही ग्राम पंचायत से नामान्तरण खुलवा कर निर्णित करवा दिया, जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बन्ध ही नहीं है रोशनी का जनआधार पेश किया है जिसमें नंदलाल की बेटी लिखा गया है। वर्ष 97 में लादू की मृत्यु हुई बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए क्षेत्राधिकार से परे जो किया है उसको खारीज किया जावें।

बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन इस प्रकार किया कि नामान्तरण संख्या 1190 दिनांक 23.6.2023 को निर्णित ग्राम पंचायत खेड़ी द्वारा किया गया है। अपील पत्र में सरपंच ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया है। लादूलाल की पत्नी कौशल्या को तहसील बस्सी का होना अंकित किया है, पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन फरमावें। लादू की मृत्यु पश्चात लादूलाल की बीवी कौशल्या नाते चली गई रोशनी 3-4 साल की साथ लेकर गयी।

अपील पत्र पर बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज नकल नामान्तरणसंख्या 1190 निर्णित दिनांक 13.6.2023 का अवलोकन किया गया। यह नामान्तरण विरासत से खोला गया है जिसमें खातेदार लादूलाल पुत्र नन्दा हिस्सा 1/6 की विरासत का नामान्तरण कौशल्या पति स्व. लादूलाल हिस्सा 1/12 व रोशनीबाई पुत्री लादूलाल हिस्सा 1/12 दर्ज कर यह नामान्तरण खोला गया है। नामान्तरण में मुताबिक रेकार्ड मृतक खातेदार लादूलाल पिता नन्दलाल के विधिक वारिसान के नाम कार्यवाही अपेक्षित है का अंकन सम्बन्धित भू०अ०नि० ने किया है। पत्रावली में अपीलार्थी रामचन्द्र द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत विरासत कार्यवाही पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार द्वारा 136(2) दर्ज कर पटवारी रिपोर्ट तलब हो तब तक नामान्तरण कार्यवाही ना की जावें। का अंकन किया हुआ है, यह प्रार्थना पत्र सत्यप्रति ना होकर छायाप्रति है। प्रस्तुत निर्वाचन नामावली ग्राम खेड़ी की सत्यप्रति प्रस्तुत की है जिसमें कमांक 817 पर नंदराम /मेघा , 818 पर प्यारी /नंदराम पत्नी ,819 पर लादू/नंदराम पु0 व 820 पर कौशल्या/लादू पत्नी अंकित है। पत्रावली में नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया जमाबंदी मौजा माल पटवार हल्का खेड़ी संवत 2078 में दर्ज आराजी संख्या 317,468मि.,585, 586, 919/1, 922मि.,923,

(Signature)
न्यायालय सदस्य
(राजस्व अपील अधिकरण)

5,927, 929, 933, 934, 936, 938, 939मी., 955/586 कीता–16 कुल रकबा 3.4200 हैक्टर भूमि के खातेदार कोशल्या पत्नि स्व.लादूलाल हिस्सा 1/10 जाति धाकड सा.देह खातेदार, घीसी पुत्री नन्दा हिस्सा 1/5 जाति धाकड सा.देह खातेदार, रामचन्द्र पुत्र नन्दा हिस्सा 17/3 जाति धाकड सा.देह खातेदार, रोशनीबाई पुत्री लादूलाल हिससा 1/10 जाति धाकड साद. देह खातेदार व शान्तिबाई पुत्री नन्दा हिस्सा 1/30 जाति धाकड सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है। जमाबंदी में निम्न नोट अंकित किया हुआ है। 1. स्वीकृत नामान्तरण 6 04/08/2023 शुद्धिपत्र 2. स्वीकृत नामान्तरण 1182 20/10/2022 रहनमुक्त 3. स्वीकृत नामान्तरण 1190 23.5.2023 विरासत, स्वीकृत नामान्तरण 1196 20.07.2023 विरासत, स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1207 20.9.2023 हकत्याग का अंकन किया हुआ है। यानि नामान्तरण संख्या 1190 का अमल इस जमाबंदी में किया गया है। पत्रावली में उप तहसील पारसोली द्वारा उनके पत्र कमांक 24 दिनांक 24.01.2023 से तहसीलदार बस्सी को लिखे गये पत्र बाबत लादूलाल की वारिसान की जॉच के संबंध में लिखा गया है। उक्त पत्र में पटवारी हल्का पालका तह0 बस्सी से रिपोर्ट हेतु लिखा गया है। "आज दिनांक 05.04.2023 को श्रीमान तहसीलदार सा. बस्सी के पत्र कमांक /एलआर/2023/68 दिनांक 6.02.2023 की पालना मे ग्राम मेघपुरा में मजमें आम में पहुची मौके पर उपस्थित मौतबीरान ने बताया कि कौशल्या नंदराम जी धाकड के नाता विवाह किया जिसमें कौशल्या के लादूलाल से उत्पन्न संतान रोशनदेवी पुत्री होना बताया व नाते के समय साथ आई थी कोई लादूलाल का वारिस जाहिर नहीं आया। अतः मौका पर्चा तैयार कर मोतबीरान के हस्ताक्षर करवाये"

इस प्रकार मृतक लादूलाल की जायंदा पुत्री रोशनदेवी होना स्पष्ट होता है तथा उनके नाम पर खोला गया नामान्तरण संख्या 1190 निर्णय दिनांक 23.5.2023 को सही खोला जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया है। अपीलार्थी का यह कथन कि मृतक लादूलाल पुत्र नंदा धाकड लाऔलाद फोत होना यह तथ्य गलत अंकित किया है। अपीलार्थी रामचन्द्र ने जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार बेगूं को प्रस्तुत किया है उसमें किस अधिकार से अपने पक्ष में विरासत का नामान्तरण खुलवाना चाहा है यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है जबकि मृतक लादूलाल की जायंदा पुत्री रोशनबाई जीवित है। अपील अपीलार्थी की दस्तावेजी सबूत से सिद्व नहीं होती है।

अतः अपील अपीलार्थी बाबत नामान्तरण संख्या 1190 मौजा नाल पटवार हल्का खेडी निर्णित दिनांक 23.5.2023 का सही होने से से अपील अपीलार्थी की खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी,बेगूं
जिला चित्तौडगढ़(राज0)